न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, बसिया

धारा 107 दं0प्र0सं0 वाद सं0 36/2016 दिनांक 27/08/2016

प्रथम पक्ष... ब्रज मोहन सिंह पिता शंकर सिंह, ग्राम –बाकुटोली.... बगैरह।

बनाम

द्वितीय पक्ष..... कलीन्दर साहु राजेन्द्र साहु पिता ईश्वर साहु ग्राम– बाकुटोली.....बगैरह।

आदेश

उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 17/2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) ब्रज मोहन सिंह पिता शंकर सिंह उम्र 35 वर्ष (2) रमेश नाग पिता स्व0 बिरूका साहु उम्र 40 वर्ष (3) बुधेश्वर साहु पिता स्व0 बोका साहु उम्र 37 वर्ष (4) सुरेश कुमार साहु पिता स्व0 धुरा साहु उम्र 38 वर्ष (5) छोटु सिंह उम्र पिता स्व0 बुधना सिंह उम्र 49 वर्ष (6) श्याम पति साहु पिता स्व0 बालगोबिंद साहु उम्र 44 वर्ष (7) राजेश साहु पिता दामु साह उम्र 52 वर्ष (8) बन्दी साहु पिता स्व0 धुरा साहु उम्र 55 वर्ष (9) किनु सारेंग पिता स्व0 लादू सोरेंग उम्र 40 वर्ष सभी ग्राम बाकुटोली बनाम द्वितीय पक्ष (1) कलीन्दर साहु उम्र 57 वर्ष (2) राजेन्द्र साहु उम्र 52 वर्ष दोनो पिता ईश्वर साहु (3) जगदीश साहु उम्र 28 वर्ष (4) सिकोल साहु उम्र 20 वर्ष दोनो पिता कलीन्दर साहु सभी ग्राम बाकुटोली सभी थाना कामडारा जिला गुमला के द्वारा भूमि संबंधि विवाद को लेकर उभय पक्षों के बीच शांति भंग होने की सम्भावना को लेकर न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी को प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है जो निम्न प्रकार है:–

प्रथम पक्ष के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण पृच्छा एवं जवाब दाखिल किये है कि मौजा कामडारा थाना सं0 59 जिला गुमला अंतर्गत खाता सं0 369 प्लॉट सं0 66 एवं 71 गैरमजुरवा जमीन है। उक्त जमीन का उपयोग बैल बकरी चरते है एवं ग्रामीण रास्ता का उपयोग करते है विषयगत जमीन गैरमजुरूवा होने के कारण किसी के नाम से रसीद नहीं कटता है। द्वितीय पक्ष के लोगों के पास ट्रेक्टर गाडी है जिससे वर्तमान वर्ष के बरसात में जबरजस्ती जोताई कर लोगो को रास्ता में चलने से रोक रहे है। उपरोक्त जमीन चलने फिरने एवं चारागाह का उपयोग करने पर द्वितीय पक्ष के लोगो के द्वारा ग्रामीणों को मारने पीटने की धमकी दे रहे है।
यह कि द्वितीय पक्ष के लोग दबंग एवं सरकस किस्मि के वयक्ति है एवं कानून को नही मानते है।

प्रथम पक्ष द्वारा उक्त विवादित भूमि से संबंधित किसी प्रकार का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है।

द्वितीय पक्षः– द्वितीय पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कारण पृच्छा एवं जवाब दाखिल किये है कि द्वितीय पक्ष के विरूद्ध लाया गया वाद न्यायसंगत नहीं है तथा वाद खारिज होने योग्य है। यह कि पुलिस जॉच रिपोर्ट में आया है कि द्वितीय पक्ष एवं प्रथम पक्ष के बीच में कभी अप्रिय घटना

है। यह कि पुलिस जॉच रिपोर्ट में आया है कि द्वितीय पक्ष एवं प्रथम पक्ष के बीच में कभी अप्रिय घटना घट सकती है लेकिन द्वितीय पक्ष की ओर से कभी भी अप्रिय घटना होने की संभावना नहीं है। उक्त विवादित भूमि जोतने के विवाद को लेकर प्रथम पक्ष के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है, उसमें खाता सं0 369, प्लॉट सं0 71 एंव 66 कुल रकबा 0.80 डी0 जमीन गैरमजरूआ है उसको द्वितीय पक्ष दखल कब्जा करना चाहते है जो पुलिस रिर्पोट में है। मौजा कामडारा थाना सं0 59 थाना कामडारा जिला गुमला के अन्तर्गत खाता सं0 369 प्लॉट सं0 71 एवं 66 रकबा 0.45 डी एवं 1.57 डी कुल 2.02 डी. है जो गैरमजरूआ मालिक दर्ज है। खेवटधारी ईश्वर साहु पिता वीदु साहु कौम तेली साकिन देह हैं जो गैरमजरूआ मालिक का लगान पानेवाला ईश्वर साहु है और गैर मजरूआ मालिक का हक ईश्वर साहु के वंशज द्वितीय पक्ष के लोग है।

वंशवली

ईश्वर साहु

बलकू साहु | कलीन्द्र साहु | राजेन्द्र साहु | महेन्द्र साहु

उपर्युक्त खाता प्लॉट के कुल रकबा 2.02 डी0 भूमि मे सें 0.33 डी0 भूमि रोड निर्माण में चला गया हैं कुल रकबा 2.02 एकड़ भूमि का दखल कब्जा द्वितीय पक्ष के लोगों का है प्रथम पक्ष के लोग का हक अधिकार नही बनता है। उपर्युक्त खाता प्लॉट रकबा का रिर्टन फार्म के0 भर दिया गया है द्वितीय पक्ष को लगान निर्धारण नहीं हुआ है। द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र दिया गया है अंचल कार्यालय कामडारा में लम्बित है। दाखिल खारिज करने का शुद्धि पत्र निर्गत करने के लिए एवं सरकारी मालगुजारी रसीद काटने के लिए द्वितीय पक्ष के लोगों के पक्ष में आदेश पारित करने की कृपा किया जाय।

द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त विवादित भूमि से संबंधित कागजात प्रस्तुत किया गया है।

(1) उक्त विवादित भूमि से संबंधित खतियान की प्रति।

<u>अंचल कार्यालय, कामडारा से जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त है :–</u>

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं का लिखित बहस और दाखिल कागजातो का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि किस्म जमीन गैरमजुरूआ मालिक है जिसमें नाम लगान पाने वाला श्री ईश्वर साहू का नाम अंकित है जिसकी जमाबंदी कायम उभय पक्षों में से किसी के नाम से नहीं है उक्त विवादित भूमि खाता सं0 369, प्लॉट सं0 71 एंव 66 कुल रकबा 0.88 डी0 भूमि का लगान निर्धारण नहीं की गई है ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त भूमि पर दावा गलत है। द्वितीय पक्ष द्वारा बंध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। वाद के कार्यवाही की अवधि में उभय पक्षों द्वारा किसी प्रकार शांति भंग करने की सूचना नहीं है। वाद की समयावधि समाप्त हो चुकी है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित

अनुमंडल दंडाधिकारी
बसिया।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.12 15:34:49 +05:30
Location: 192.168.0.112